संख्या–543/XVII(4)/2016–5(2)2012 TC

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक 9 मार्च, 2016

विषय–आंगनवाड़ी कर्मियों हेतु कल्याण कोष के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या–639/181(i)/UMSVY/2015-16 दिनांक 23.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिकाओं को अधिवर्षता आयु (60 वर्ष) पूर्ण करने के उपरान्त दिये जाने वाले एकमुश्त नकद भुगतान हेतु "आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष की स्थापना" निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1- प्रस्तावना: उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं एवं बच्चों के विकास को सही दिशा एवं आवश्यक गति प्रदान करने के उददेश्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं, बच्चों एवं किशोरियों के समुचित विकास एवं किशोरियों को उनके स्वास्थ्य पोषण, सम्बन्धी सेवाओं को प्रदान करने के साथ–साथ सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ऑगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। आई0सी0डी0एस0 (Integrated Child Development Service) योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती एवं सहायिका वह महत्वपूर्ण सेवा प्रदाता है, जिनके माध्यम से जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। मानदेय सेवा पर कार्यरत इन कर्मियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त कोई लाभ नहीं दिया जाता है।

अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को सेवा उपरान्त उनके द्वारा की गई सेवाओं का प्रतिफल देने के उद्देश्य से **"आंगनबाड़ी कर्मी सामाजिक सुरक्षा योजना"** का प्रारम्भ करते हुये **"आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष"** का सृजन किया गया है।

2- योज़ना/कोष का उद्देश्य:

उत्तराखण्ड राज्य में आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत मानेदय सेवा में कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को उनकी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त आवश्यक वित्तीय सहयोग प्रदान करना, साथ ही महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, महिला विशिष्ट अवसंरचना की स्थापना करना तथा वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने हेतु आधार प्रदान करना भी इसका उद्देश्य है।

3- आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष की स्थापना:

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से आगामी 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष रू0 3.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि से "आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष" की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि को "आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष" हेतु अग्रिम रूप से आहरित कर उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के तहत् निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के निर्वतन पर रखे जाएगी, जिसे निदेशक द्वारा इस हेतु पृथक रूप से खोले गये खाते में महिला कल्याण कोष में जमा की जायेगी, जिससे आंगनबाड़ी कर्मियों को वित्तीय लाभ प्रदान किये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 300.00 लाख का बजटीय प्राविधान किया गया है।

4- वित्तीय लाभ दिये जाने हेतु पात्रता :

निम्नलिखित पात्रता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तीयों/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त वित्तीय लाभ दिये जायेंगें। प्रथमतः प्रत्येक जनपद से जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों से कटौती सम्बन्धी स्व घोषित (Self Declaration) सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा :–

क– न्यूनतम 10 वर्ष की मानदेय सेवा पूर्ण हो

ख– उक्त प्राविधान लागू होने की तिथि से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने तक मानदेय सेवा में कार्यरत रही हो।

ग– संतोषजनक सेवाओं का प्रमाण–पत्र।

5- वित्तीय लाभ दिये जाने की प्रक्रिया :–

60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा मुक्त की गयी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तीयों की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड को मानदेय कर्मी के सेवा मुक्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से परिपक्व प्रस्ताव भेजा जायेगा।

निदेशक, आई0सी0डी0एस0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रस्ताव का परीक्षण कर प्रस्ताव पूर्ण होने की दशा में ही 30 दिन के अन्दर धनराशि सम्बन्धित कर्मी के मानदेय सम्बन्धी बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी। निदेशालय, आई0सी0डी0 एस0 द्वारा दिये गये उपरोक्त वित्तीय लाभ की सूचना सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। प्रेषित प्रस्ताव पर निदेशालय आई0सी0डी0एस0 द्वारा की गयी कार्यवाही का मिलान किया जायेगा।

जिन मानदेय कर्मियों को सेवा उपरान्त वित्तीय लाभ से लाभान्वित किया जायेगा उनके सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि उन्हें वित्तीय लाभ प्राप्त हो चुका है तथा सेवा मुक्त होने पर उनका नाम मानदेय कर्मियों की सूची से हटा दिया जायेगा।

6- वित्तीय ऐजेन्सी/क्रियान्वयन ऐजेन्सी का चयन :

"आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष" को संचालित किये जाने हेतु विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों से ब्याज की दरें व सहयोग के रूप में दी जाने वाली सेवाओं हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे। तत्पश्चात सर्वोत्तम गुणवत्ता के आधार पर वित्तीय संस्थान/बैंक का चयन किया जायेगा। ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जो अधिकतम व्याज देने के साथ ही वित्तीय लाभ प्राप्त करने वालों के

लिए सुविधाजनक होंगे। कोष में सहयोगी के रूप में कार्य करने वाली एजेन्सी यथा–राष्ट्रीयकृत बैंक का चयन अपेक्षित अर्हता एवं अनुभवों को विश्लेषित कर ही किया जायेगा।

7- कोष का संचालनः

महिला कल्याण कोष की स्थापना, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति के तहत् एक पृथक प्रकोष्ठ "आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष" के रूप में की जायेगी:

इस योजना के तहत् धनराशि की सुरक्षा हेतु उठाये जाने वाले विभिन्न चरणों तथा कोष से निर्धारित निर्गत धनराशि का सुरक्षित रख–रखाव का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्रशासनिक एवं स्थापना/लेखा ईकाई द्वारा किया जायेगा। अभिलेखों का स्पष्ट विवरण जिसमें कल्याण कोष हेतु ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं द्वारा उनके मानदेय से क्रमशः रू0 100/– की कटौती कर जमा की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा आगामी 05 वर्षो तक कॉरपस फन्ड के रूप में प्रतिवर्ष रू0 3.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था वार्षिक बजट से की जायेगी। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली जिसके द्वारा सामान्तः अपेक्षित लेखा सिद्धान्तों का परिचालन किया जायेगा एवं लेखा व्यवस्था समयान्तर्गत संचालित की जायेगी। आय व्ययक सम्बन्धी अर्थपूर्ण त्रैमासिक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी एवं समय–समय पर महालेखाकार द्वारा सम्परीक्षा के समय सभी कोष से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखों का विवरण यथा समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कोष सम्बन्धी उत्तरदायित्व का निर्वहन विभागाध्यक्ष एवं गठित शासी निकाय एवं कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी के साथ संयुक्त माध्यम से किया जायेगा।

8- आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष की आस्तियांः

कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि एवं इस धनराशि से अर्जित ब्याज सम्मिलित होगा। इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा विनियोग किये जाने पर राज्य सरकार ऐसी धनराशि जैसा वह आवश्यक समझे, अनुदान अथवा ऋण के रूप में कोष में जमा कर सकती है। कोष की सभी परिसम्पत्तियां कोष शासी निकाय एवं कार्यकारिणी बोर्ड में निहित होगी।

9- आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष का शासी निकाय (Governing Body):

आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष के उद्देश्य के अधीन/आवश्यकतानुसार नियम बनाने, उद्देश्यों एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में यथा आवश्यक संशोधन एवं निर्देश जारी किये जाने हेतु एक शासी निकाय का गठन किया गया है। निकाय में उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेने की शक्ति निहित होगी। वर्ष में कम से कम एक बार शासी निकाय की बैठक आहूत की जायेगी। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी/सदस्य हैं :–

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग – संदस्य
3- सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
4- सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन– सदस्य
5- निदेशक/उपाध्यक्ष (पदेन), म0स0एवं बा0वि0विभाग, उत्तराखण्ड – मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10- कार्यकारिणी बोर्ड (Executive Board)

कोष के अन्तर्गत उक्त कमेटी के गठन का उद्देश्य कोष के अधीन आवश्यक नियम बनाने एवं इसके प्रबन्धन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी करने की शक्ति होगी। कोष आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले वित्तीय लाभ की धनराशि में भी

आवश्यक परिर्वतन का प्रस्ताव कर सकती है। जिसका शासकीय निकाय कमेटी की स्वीकृति के उपरान्त शासन द्वारा लागू किया जायेगा। वर्ष में कम से कम दो बार छमाही बैठक आहूत की जायेगी तथा कोष के संचालन की समीक्षा एवं लेखों का मूल्यांकन किया जायेगा। जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सदस्य हैं :–

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, म0स0एंव बा0वि0 विभाग	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3.	निदेशक/उपाध्यक्ष(पदेन) म0स0एंव बा0वि0विभाग, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी सदस्य
4.	वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड	सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड	सदस्य
6.	राज्य परियोजना अधिकारी, उ0म0 एवं बा0वि0समिति	सदस्य
7.	ऑडिटर्स, उ0म0 एवं बा0वि0समिति (UWCDS)	सदस्य

11- आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष के मुख्यकार्यकारी अधिकारी का दायित्व (Chief Executive Officer)

निदेशक/उपाध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के फलस्वरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शासी निकाय के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करने के साथ ही कोष का संचालन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा उपरान्त दिये जाने वाला वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिये उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त कोष का लेखा एवं लेखा परीक्षण, कोष संचालन सम्बन्धी नियमों का अनुपालन, अभिलेखों की सुरक्षा आदि का उत्तरदायित्व भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा।

12- कोष का प्रबन्धन, लेखा एवं लेखा परीक्षण:

प्रत्येक वर्ष वित्तीय लाभ प्राप्त करने वालो की संख्या के आधार पर व्यय होने वाली धनराशि का आंकलन किया जायेगा एवं प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान एवं राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि को इस हेतु सृजित कोष में जमा किया जायेगा।

कोष की आय एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का नियमानुसार खाता रखा जायेगा। जिसका समय–समय पर सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षण सिद्धान्तों के अनुसार लेखा परीक्षण किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखा परीक्षक वार्षिक खाता शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा तथा लेखा परीक्षक खाते को कार्यकारिणी बोर्ड की आहूत बैठक में प्रस्तुत करेंगें।

इसके अतिरिक्त कोष के प्रबन्धन के सम्बन्ध में संगत वित्तीय/लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत शासी निकाय द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश जारी किये जायेगें।

13- कोष की धनराशि का उपयोग :

कोष की धनराशि का उपयोग आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत आंगनबाड़ी/ मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्तियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर संतोषजनक सेवा उपरान्त वित्तीय लाभ दिया जायेगा। वित्तीय लाभ नियमानुसार संलग्न तालिका के अनुसार प्रदान किया जायेगा तथा कोष की परिसम्पत्तियां राज्य सरकार की सम्पत्तियां बन जायेगी।

14- कोष के अन्तर्गत वित्तीय मॉडल का विवरण :

योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कॉरपस फन्ड के रूप में प्रतिवर्ष रू0 3.00 करोड़ की धनराशि का सहयोग 05 वर्षो तक एवं आंगनबाड़ियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं से रू0 100/– प्रतिमाह अंशदान का सहयोग प्राप्त होने के उपरान्त आंगनबाड़ी कर्मी कल्याण कोष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2045 में आंगनबाड़ियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिकाओं को आवश्यक वित्तीय सहयोग के रूप में प्रदान की जाने वाली एकमुश्त धनराशि की देनदारी के उपरान्त भी लगभग रू0 46.94 लाख की उपलब्धता कोष में बनी रहेगी। प्रत्येक वर्ष में लाभार्थियों को देय धनराशि में 5 प्रतिशत की दर से संलग्न तालिका के अनुसार वृद्धि देय होगी।

15- इस योजना के अंतर्गत किसी प्रकार के वाद–विवाद को कार्यकारिणी बोर्ड की बैठक के तत्पश्चात् शासी निकाय के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

16- यह योजना दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से प्रभावी/क्रियान्वित की जायेगी।

संलग्नक–तालिका।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–543 (1)/XVII(4)/2016–5(2)2012 TC तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–1/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विम्मी सचदेवा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या- /XVII(4)/2018-5(02)/12
देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2018

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मानदेय सेवा उपरान्त उनके द्वारा की गई सेवाओं का प्रतिफल दिये जाने के उद्देश्य से "आंगनबाड़ी कर्मी सुरक्षा योजना" का प्रारम्भ करते हुए शासनादेश संख्या-543/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 09.03.2016 द्वारा "आंगनबाड़ी कल्याण कोष" की स्थापना की गई है तथा उक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 में, संशोधन करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या-163/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 24.01.2017 निर्गत किया गया है। अतः उपरोक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 के प्रस्तर संख्या-5 (वित्तीय लाभ दिये जाने की प्रकिया) के अंतिम पैरा में निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं को भी पढ़ा जाय:-

1. यदि आंगनवाड़ी कर्मी अपने पद से 10 वर्ष तक की संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण होने से पूर्व स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देती है तो उसके द्वारा आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष में किये गये कुल अंशदान एवं उसके ब्याज की धनराशि की गणना कर (बैंक द्वारा तत्कालीन दर से की जायेगी) एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाए।
2. यदि आंगनवाड़ी कर्मी अपने पद पर 10 वर्ष तक की संतोषजनक मानदेय सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वेच्छा से त्यागपत्र देती है तो उसको अन्य सेवानिवृत्त होने वाली आंगनवाड़ी कर्मी के समान नियमानुसार एक मुश्त परिपक्वता धनराशि से लाभान्वित किया जाए।
3. आंगनवाड़ी कर्मी कल्याण कोष योजनान्तर्गत योजना प्रारम्भ होने की अवधि अप्रैल, 2016 या उसके बाद सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (नवीन आंगनवाड़ी कर्मी हेतु) से सेवा की अंतिम तिथि तक आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा अंशदान की धनराशि अनिवार्य रूप से जमा की जाए तथा इस योजना में समस्त आंगनवाड़ी कर्मियों को आच्छादित किया जाए।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, एवं अन्य शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1114 (1)/XVII(4)/2018-5(2)2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक/उपाध्यक्ष, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
8. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-1/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. राज्य परियोजना अधिकारी, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
14. ऑडिटर्स, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
15. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या–163 /XVII(4)/2016-5(02)/12TC
देहरादून, दिनांक 24 ~~नवम्बर, 2016~~ जनवरी 2017

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सेवा उपरान्त उनके द्वारा की गई सेवाओं का प्रतिफल दिये जाने के उददेश्य से आंगनबाड़ी कर्मी सुरक्षा योजना का प्रारम्भ करते हुए शासनादेश संख्या 543/XVII(4)/2006/2012TC दिनांक 09.03.2016 द्वारा "आंगनबाड़ी कल्याण कोष" की स्थापना की गई है। जिसमे प्रस्तर संख्या–17 को भी समाहित करते हुए "आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उनके कार्य के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में **"आंगनबाड़ी कल्याण कोष"** के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि/अंशदान का भुगतान नियमानुसार उनके आश्रितों/नोमिनी को किया जायेगा" अतिरिक्त रूप से पढ़ा जाय।

2– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.03.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, एवं अन्य शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– 163 (1)/XVII(4)/2016-5(2)2012 TC तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. निदेशक/उपाध्यक्ष (पदेन), महि0सश0 एवं बा0वि0वि0, उत्तराखण्ड।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड।
12. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–1/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15. वित्त नियंत्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
17. राज्य परियोजना अधिकारी, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
18. ऑडिटर्स, महि0सश0 एवं बा0वि0वि0 समिति, उत्तराखण्ड।
19. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
20. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विम्मी सचदेवा)
अपर सचिव।

SO Letter 2015